Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

SCMS

N·S·D·C
National Skill Development Corporation
Transforming the skill landscape

SKILL COUNCIL FOR MINING SECTOR

Honing India's Mining Skills

कौशल परिषद् खनन क्षेत्र

ड्राइवर स्पेशल व्हीकल

Pocket Diary - Driver Special Vehicle

क्रम-सूची

जॉब के बारे में सक्षित विवरण	1
विस्फोटक वैन की सुरक्षा संबंधी जांच	2
वाहन व सड़क मार्ग में सुरक्षा	6
यातायात के नियम एवं विधियाँ	9
जीप, ट्रक ड्राइवट की सुरक्षित कार्य प्रणाली	14
डीजल भरवाने की आचार संहिता	16
पार्किंग यार्ट हेतु आचार संहिता	17

SKILL COUNCIL FOR MINING SECTOR - SCMS
कौशल परिषद खनन क्षेत्र

N·S·D·C National Skill Development Corporation

पॉकेट डायरी

व्यक्तिगत जानकारी

नाम : ....

पद : ....

बी फॉर्म नं. : ....

विभाग : ....

निवास : ....

....

....

ड्राइविंग लाइसेंस नं. : ....

वाहन संख्या : ....

ब्लड ग्रुप : ....

पहचान चिन्ह : ....

आपात कालीन संपर्क : श्री ....

फोन (कोड सहित) : ....

विशेष रोग : हृदय रोग / रक्तचाप(उच्च / निम्न) / मधुमेह

जॉब के बारे में संक्षित विवरण

खनन उद्योग में स्प्रिंकलर एवं अन्य वाहन चालक एक सहायक जॉब भूमिका है। वह व्यक्ति जिसे यह भूमिका सौंपी गई है उसे उबड़–खाबड़ सड़क पर धूल को नियंत्रित करने वाले स्प्रिंकलर ट्रक या खनन स्थल में विस्फोठक सामग्री ले जाने वाले किसी विस्फोटक वाहन ट्रक चलाना पड़ता है। इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को खनन कार्य के बुनियादी नियम, खनन क्षेत्र में अपनाये जाने वाले यातयात नियम एवं एमवीटीआर के अनुरूप खनन संबंधी सुरक्षा निर्देशों को जानकारी रखना व समझ रखना आवश्यक होता है।

व्यक्तिगत गुणः इस तरह के जॉब में समस्या का समधान करना, सुरक्षा के प्रति जागरूक होना, पढ़ना, लेखन व संवाद कौशल के प्रति संवेदनीशीलता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की दिखाई देने की क्षमता व शारीरिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए व उसका समय–समय पर चिकित्सा जांच भी की जानी चाहिए।

विस्फोटक वैन की सुरक्षा संबंधी जांच

1. विस्फोटक वैन की सुरक्षा संबंधी जांच के दौरान वैन को ऐसी जगह पर खड़ा करें जहां भीड़भाड न हो। जहां जान माल की सुरक्षा खतरे में न हो।
2. जब विस्फोटक ले जाने वाले दो या उससे अधिक वैन के काफिले की जांच की जानी हो तो उन्हें एक साथ खड़ा न करें।
3. जब विस्फोटकों लदे वैन को नियंत्रण के बाहर की स्थिति में कहीं पूरी रात भर खड़ा करना पड़े तो चालक इसकी सूचना निकटम पुलिस थाने एवं उस स्थान में रहने वाले लोगों को बताना आवश्यक है।
   (क) उस वैन में ऐसा कोई खुला ज्वलनशील स्रोत या कोई पदार्थ या कोई चीज नहीं हो जिससे विस्फोट व आग लगने की सभावना हो।
   (ख) वैन को ज्वलनशील प्रकृति या अन्य खतरनाक वस्तुओं वाले किसी निवास स्थान या किसी गोदाम से दूर खड़ा करें।
4. यदि किसी वाहन में विस्फोट के कारण आग लग जाती है तो अन्य सभी वाहनों को कम से कम 300 मीटर की दूरी पर रोकें व आसपास के सभी लोगों को खतरे से आगाह करें।

5. विस्फोट सामग्री से लदे वैन ऐसी दुर्घटना, आग या किसी अन्य घटना में शामिल हो जिससे विस्फोटकों के वितरण में काफी देरी या वाहन या विस्फोटक सामग्री को क्षति पहुंची हो उसमें

(क) सड़क दुर्धटनाओं से संबंधित अनुपालन किया जाएगा।

(ख) ज्वांइट सीसीई/डिप्टीसीसीई/सीई जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है उन्हें विस्फोटकों व दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी देकर सूचित किया जाएगा।

(ग) विस्फोटक को सुरक्षति भंडार में रखा जाएगा एवं यदि आवश्यक हो तो ज्वांइट सीसीई/डिप्टीसीसीई/सीई की जांच तक अभिरक्षा में रखा जाएगा एवं इसके बाद गंतव्य स्थल अथवा ज्वांइट सीसीई/डिप्टीसीसीई/सीई द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक पहुंचाया जाएगा।

6. यदि विस्फोटक से लदी वैन खराब हो जिसमें बड़े मरम्मत की आवश्यकता हो तो ऐसी मरम्मत का कार्य तब तक न करें जब कि उस वैन की विस्फोटक सामग्री को किसी दूसर वैन में स्थानांतरित न कर दिया गया हो या वैन से बाहर न निकाला गया हो या सड़क से सुरक्षित दूरी पर उचित सुरक्षा के साथ न रखा गया हो व ज्वांइट सीसीई/डिप्टीसीसीई/सीई जिसके अधिकार क्षेत्र में वह

स्थान आता है उसको सूचना के अधीन किसी बसावट से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर न रखा गया हो।

7. पैरों में बूट/जूते पहनें बिना जूता पहने विस्फोटक वैन के अंदर जाएं।
8. विस्फोटक ले वाली वैन का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति सेलुलर फोन, पेजर्स, वायरलेस उपकरण, माचिस, लाइटर व चाकू व लोहे/स्टील से बनी कोई अन्य चीज, तुरंत आग पकड़ने वाले ज्वलनलशील प्रकृति के पदार्थ जैसे अम्ल, पेट्रोल, कैल्शियम कार्बाइड व संपीड़ित गैसें अपने पास न रखें।
9. वेन में लदे विस्फोटक सामग्री की भौतिक जांच के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:

   क) घड़ी व अंगूठी पहनने से बचें।

   ख) गैर सिंथैटिक सामग्री वाले कपड़े पहने जैसे सूती कपड़े।

   ग) नंगे पैर रहें या रबड़ से बने जूते पहने।
10. वैन से विस्फोटक सामग्री के उतारने के मामले में, विस्फोटक सामग्री से युक्त पैकेटों की लदाई व उतराई या सौंपने में गांठ वाला हुक या अन्य धातु के उपकरणों का इस्तेमाल न करें। इस तरह की घटनाओं में विस्फोटक सामग्री की लदाई व उतराई या सौंपने का काम शुरू किया

जाता है तो जब तक पूरा काम खत्म न हो तब तक उसे काम बंद न करें एवं जितना संभव हो उतनी तेजी से यह कार्य करें।

11. निरीक्षण के दौरान विस्फोटक सामग्री से भरे पैकेटों को धूप में या अत्यधिक गर्म स्थान पर न रखें।
12. कभी भी किसी अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ डेटोनेटर न ले जाएं।
13. कभी भी किसी अन्य विस्फोटक सामग्री विस्फोटक सामग्री को किसी ऐसे वाहन में न ले जाएं जिसे किसी दूसरे वाहन से खींच कर ले जाया जा रहो हो या उस वाहन में न रखें जो किसी वाहन को खींच रहा हो।

वाहन व सड़क मार्ग में सुरक्षा

1. अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन नहीं चलाना चाहिए।
2. वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
3. वाहन सावधानी से चलाएं।
4. वाहन नियमों के अनुसार ही चलाएं।
5. चलते ट्रकों में रखे सामान पर न बैठें।
6. चलते ट्रकों पर खड़े न हों।
7. फुट बोर्ड पर यात्रा न करें।
8. वाहन में दोनों हैड लाइटें लगी हों व वे अच्छी स्थिति में भी हो।
9. वाहन को खींचते (टो) करते समय दो पट्टियों का इस्तेमाल करें।
10. टायर पर पैर रखकर वाहन में न चढ़ें।
11. नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
12. वाहन देखकर बैक करें।
13. वाहन को बेंच के किनारे बैक न करें।
14. वाहन को ढांचे से नीचे ले जाने पर पर्याप्त जगह हो ताकि उसका छत न टकराये।
15. वाहन चालू करने से पहले चालक को उसकी जांच करनी चाहिए।

16. यदि वाहन चालू स्थिति में नहीं है तो उस पर ''आउट ऑफ सर्विस' का बोर्ड लगाएं।
17. सामान से भरे वाहन को ढलान वाली जगह में बैक न करें।
18. वाहन में साइड बोर्ड से अधिक सामग्री न भरें।
19. फिसलने व गिरने से बचाने के लिए पाइप जैसी से सामान को ढंग से बांधें।
20. सामान वाले केबिन में यात्रा न करें।
21. वाहन में भरी सामग्री बाहर न निकली हो यदि निकली हो तो इसे लाल कपड़े या चेतवानी संकेतों से दर्शायें।
22. ओवरटेकिंग सुरक्षित रूप से करें।
23. खानों के अंदर सामान से लदे ट्रैक्टर निषिद्ध हैं।
24. वाहन की समय–समय पर जांच करें।
25. रोड साइन 16 में 1 से न हो।
26. दुर्घटना से बचने के लिए सड़क के किनारे मजबूत पैरापेट दीवारें बनाई जानी चाहिए। वाहन का पिछला दरवाजा हमेशा बंद रखें।
27. सभी जंक्शन व कोने आसानी से दिखाई देने वाले हों।
28. पार्किंग के समय पार्किंग संकेतक का इस्तेमाल करें।
29. वाहन की पार्किंग के बाद उसे बंद कर दें एवं यह सुनिश्चित करें कि इससे कोई दुर्घटना न हो।

30. खराब वाहनों को ठीक से इंगित करें एवं संकेतक बोर्डों से चिन्हित करें।
31. टकराने से बचने के लिए वाहनों के बीच लगातार 10 मीटर की दूरी रखें।
32. वाहन चालू करने के लिए डोजर ब्लेड से धक्का न दें।
33. ओवरटेक तब तक न करें जब तक आवश्यक संकेत न मिले।
34. भारी उपकरणों को ले जाने में जीप या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें।

यातायात के नियम एवं विधियाँ

fu;e f & fofèk;k

कोई भी व्यक्ति खदान के अंदर अथवा आस–पास तक कोई वाहन नहीं चलएगा जब तक की उसे खदान द्वारा आदिकृत नहीं किया जाता है।

fu;e „ & xfr fofèk;k

1. दो डम्पर की दुरी काम से 50 मीटर हो।
2. मेन हाल रोडसे डम्पर यार्ड जाते वक्त डम्पर की गति 15 किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक न हो।
3. डम्पर की गति खदान क्षेत्र में 30 किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक न हो।

fu;e …& jkLrk dk vfèkdkl j&

1. कटाव वाले स्थानों पर जहाँ यातायात संबंधी सुचना निशान नहीं लगे हो सभी चालकों को निम्न के अतिरिक्त वाहनों को अपनी दाहिनी ओर से आने वाले वाहन को रास्ता देना चाहिए।
2. सभी चालक ऐसे आपात्कालीन (इमरजेंसी) वाहनों को रास्ता देना होगा।

3. छोटे वाहन(लाइट व्हीकल) सदैव हाल ट्रक तथा अन्य बड़े वहां को रास्ता देंगे।
4. ऐसे वाहनों के चालक जिसको दूसरे वाहनों के आगे गुजरने का अधिकार है, उस अधिकार को जिद्द मानकर अपने आपको तथा अन्य लोगो को खतरे में नहीं डालेंगे जहाँ पर वाहनों के लड़ने की सम्भावना हो।

fu;e † & ikfdx rFkk LVfMx

1. कोई भी चालक अपने वहां को ऐसे स्तिथि में नहीं कड़ी करेगा, जिससे उस क्षेत्र में अन्य यातायात का खतरा हो।
2. हाल रोड कको कोई भी किसी अन्य वाहन के विपरित दिशा में अपने वाहन को नहीं पार्क करेगा।
3. चालक गाडी खड़ी चोर्ने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करेगा की गाड़ी सुरक्षित है, सभी तरह के पार्किंग ब्रेक लगा दिए गए है। यदि परिस्थितिया ऐसी है की पहियों को टेक लगाना चाहिए तथा स्टेरिंग को केंद्र में टर्न ऑफ़ करना चाहिए

fu;e ‡ & lkekU; :&

1. वाहन को बिजली के तारों एयर होजेज अथवा पानी के लाइन के उप्पेर से जब तक नहीं चलाया जायेगा जब तक की उसे पूर्णतया सुरक्षित नहीं दिया जाता।
2. सभी चालकों तथा यंत्रियों को उन वाहनों में सीट बेल्ट पहनना होगा, जिसमे लगा हो।
3. यात्रियों को किसी भी वाहन में तब तक नहीं धोना चाहिए जब तक की अनुमोदित सीट की व्यवस्था न हो अथवा खान प्रबंधन परिक्षण/परिक्षण के उद्दे से अधिकृत न किया गया हो।
4. कोई भी वाहन जहा करब हो गया हो और रास्ता अवरूद्ध कर दिया हो, उसके आगे और पीछे सावधानी संकेत अधवा ख़तरे की बतियाँ लगनी चाहिए।
5. मशीन तथा वाहनों के सफाई तेल–पानी और इंजन के निरक्षण के लिए वे ऑपरेटर तथा चालक उत्तरदायी होगा, जिनके नियंत्रण में वाहन होंगे।
6. अंधेरा होने के समय ऑपरेटर तथा चालक यह सुनिशियत करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे की वाहन सही तरीके से प्रकाशयुक्त है।

7. अन्य यातायात अधवा चलायमान गाड़ियों के कार्य छेत्र में पहुँचने पर हेडलाइट को ट्रिप किया जाना चाहिए।
8. सभी भू–संचालक उपकरणों (अर्थमूविंग इक्विपमेंट्स) को खड़ी स्तिति से हटाने से पूर्व हार्न बजाना चाहिए।
9. चालक को यह निश्चित करना होगा की वाहन के लिए पर्याप्त जगह है, विशेषतः जब रिवर्ष किया जाय, पार्क किया जाय, अन्य वाहनों को पार्क किया जाय या पास दिया जाय अथवा स्टेशन व स्थित पदार्थो को पार किया जाय।

fu;e ^& lkekU;

वाहन चालक किसी अन्य वाहन को उचित सावधानी ओवरटेक कर सकते है तथा यह ध्यान रखे :–

1. गति सीमा अधिक न हो।
2. आगे की सड़क पर्याप्त रूप से दिखाई देती हो।
3. वाहन की सड़क पार्यप्त रूप से दिखाई देती हो।
4. भरी वाहन चालक किसी ढलान वाली जगह में दूसरे वाहन को ओवरटेक तब तक नहीं करेंगे जब तक की ओवरटेक को जाने वाली गाड़ी १० किल्लो मीटर प्रति

घंटे से न चल रही हो तथा आगे की सड़क पर्याप्त रूप से दिखाई न देती हो।

5. मार्ग संगम के नजदीक किसी तरह ओवरटेक की अनुमति नहीं है।

fu;e ‰ & ladsr

बताये गये सभी संकेतो का पालन करना है यदि किसी संकेत के उद्देशय अथवा वैधता पर शंका है, तोः पर्यवेक्षक से संपर्क करे।

fu;e Š & okguksa dh ;kaf=d fLFkfr

प्रत्येक भरी वाहन जो उपयोग में है, उसे चालक द्वारा दैनिक जीवन प्रशिक्षण करना होगा की यह सुरक्षित एवं चालू हालत में है।

जीप, ट्रक ड्राइवट की सुरक्षित कार्य प्रणाली

1. जीप, ट्रक तभी चलायेगंगे जब उसको चलाने के लिए उसके पास उपयुक्त लाइसेंस हॉ ।
2. जीप, ट्रक स्टार्ट करने से पहले चारों तरफ उसका निरीक्षण करें एवं टायर की हवा, जल, पानी, डीजल एवं लाईट्रस का निरीक्षण करें ।
3. गाडी स्टार्ट करने क पहले नियुक्त कर लें एवं स्टार्ट करने कं बाद सभी मीटर एवं गेंज चेक करे
4. गाडी को चलाकर उसका बेक तथा स्टेयरिंग चेक कर र्ले ।
5. गाडी खदान कं अन्दर ले जाने के लिये उपर्युक्त गेट पास साथ में रखें ।
6. खराब सडक एवं तीखे मोड़ पर गाडी धीमी कर लें ।
7. खदान कं अन्दर गाडी की गति सीमा 30 कि मी. /घंटा से ज्यादा न हो
8. आने जाने वाले डम्परों को रास्तक्च दे ।
9. उसी रास्ते पर चलें जिसके लिए आपको निर्देश प्राप्त हो।
10. खदान परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग न करें
11. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को गाडी में ना बैठाये।
12. खदान परिसर में किसी भी गाडी को ओवरटेक नहीं करेंगे।
13. खदान कं अंदर सभी क्रासिंग एव तिराहों पर गति 5–1० कि।मी / घंटा रखकर चारों तरफ देखकर ही आगे बढेंगे

14. जीप या ट्रक को फेस के मशीन के काफी दूरी सुरक्षित स्थान पर रोके।
15. जीप में लाल झंडा अवश्य लगायें ताकि डम्पर आपरेटर को गाडी दूर से दिखाई दे।
16. ट्रेफिक सिग्नल व रोड लाइट का कठाई के साथ पालन करें
17. कोलयार्ड में गाडी उतावले हो कर नहीं चलायेंगे
18. डम्पर के रास्ते में या ऐसी जगह जहॉ ट्रफिक में अवरोध उत्पन्न होता है गाडी खडी न करें।
19. मोड़ पर ट्रकों को अधिक गति से न घुमायें वरना कोयला गिरकर बिखर जाता है जो टायरों कं लिये हानप्रद होता है। लोडिंग के समय गाड़ियां क्रम से लगायें।
20. तौलघर पर गाड़ियां लाईन से लगायें।
21. किसी भी आगे खडी ट्रक को पार करते समय यह निचित कर लें कि गाडी आसानी से पार हो जायेगी।

डीजल भरवाने की आचार संहिता

1. केवल अधिकृत डम्पर आपरेटर ही डीजल किलिंग प्वाइंट पर डम्पर लगायेंगे।
2. इस कार्य में हडबडी न करें । डम्पर में डीजल भरते समय डम्पर का इंजन बन्द रखेंगे । डीजल भर रहें व्यक्ति के द्वारा डम्पर को हटाने का इशरा करने पर ही डम्पर का इंजन स्टार्ट करें एवं डम्पर हटायें।
3. डीजल भरने कं बाद केवल फारवर्ड दिशा में डम्पर लें जायेंगे 1 वहा रिवर्स बिलकूल नहीँ करेंगे ।
4. डम्पर को डीजल प्वाइंट पर लाने एवं वहा लगाने तथा वहॉ स ले जाते समय नियंत्रित गति में ही डम्पर चलायेंगे ।
5. मेबाइल का इस्तेमाल कार्यक्षेत्र में नही करेंगे
6. सम्बन्धित अधिकारी ? सुपरवाइजर द्वारा दिये गये निर्देश का मालन करेंगे ।

पार्किंग यार्ट हेतु आचार संहिता

1. विभिन्न प्रकार के डम्पर / वाटर टेंकर / पेलोडर के लिए अलग–अलग निर्धारित श्जगह होगा जो कि साइन बोर्ड द्वारा चिन्हित किया जायेगा ।
2. ब्रेक डाउन डम्पर या अन्य भारी मशीनों पर ‘ ब्रेक डाउन ‘ लिखा जायेगा।
3. प्रत्येक माह के एक बार पार्किंग यार्ड के सतह का समतलीकरण किया जायेगा।
4. पार्किंग यार्ड में समय–समय पर वाटर टेंकर से पानी छिडकाव किया जायेगा।
5. पार्किंग यार्ड में प्रकाश की समुचित मात्रा में अग्निशामक यंत्रो का प्रबंध रहेगा।
6. पार्किंग यार्ड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी ।
7. शिफ्ट इंचार्ज एवं रनिंग वर्कशाप रूम में फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था रहेगी ।
8. पार्किंग यार्ड से अधिकृत डम्पर आपरेटर/मैकनिक / फीटर द्वारा डम्पर संचालक हेतु ले जाते समय एवं वापस खडी करते समय डम्पस/वाटर टेंकर/पेलोडर के लिए आवंटित क्षेत्रों में पार्क करेंगे।

9. अधिकृत डम्पर आपरेटर / मैकंनिक / फीटर पार्किग यार्ड के डम्पर संचालक हेतु जाते समय एवं खडी करत्ते समय आचार संहिता के नियमों का पालन करें।
10. डीजल फीलिंग / डम्पर चेकिंग में कार्यरत डम्पर आपरेटर अथवा अन्य इस सम्बन्ध में गठित आचार संहिता का पालन करेंगे।
11. प्रत्येक पाली में शिफ्ट इंचार्ज , इंजीनियर, सुपरवाइजर द्वारा निरीक्षण कर रिर्पोट दर्ज करें।
12. अनिधिकृत अथवा अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति पार्किग क्षेत्र में नही जायेगें।

MOST PRECIOUS THING TO COME OUT OF A MINE
IS THE MINER
Always use your COMPLETE Safety Gear,
Never forget your SAFETY TRAINING